

दिल्ली विधान सभा
समाचार भाग-2

॥ विधायी तथा अन्य मामलों से सम्बन्धित सामान्य जानकारी ॥
शुक्रवार 6 मई, 1994 / वैशाख 16, 1916 ॥शक॥

संख्या 89

सदस्ये की नज़रबन्दी एवं रिहाई

सहायक पुलिस आयुक्त, पश्चिम जिला तिलक नगर, दिल्ली का अध्यक्ष दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित दिनांक 6 मई, 1994 का निम्नलिखित पत्र दिनांक 6 मई, 1994 को प्राप्त हुआ।

"श्री मुकेश शर्मा, सदस्य, दिल्ली विधान सभा को उनके अन्य समर्थकों सहित दिनांक 6.5.94 को तिलक नगर, पुलिस थाने पर विध्वंस के विरोध में तिलक नगर चौक पर यातायात अवरुद्ध करने का प्रयास करने के लिये दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978, की धारा 65 के अन्तर्गत पूर्वाह्न 10.35 बजे नज़रबन्द किया गया तथा श्री शर्मा को उसी दिन थाना तिलक नगर से पूर्वाह्न 10.55 बजे रिहा किया गया।"

पी. एन. गुप्ता
सचिव

DELHI VIDHAN SABHA

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)

Friday, May 6, 1994/Vaisakha 16, 1916 (Saka)

No.89

DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following communication dated the 6th May, 1994 addressed to the Speaker, Delhi Vidhan Sabha, from the Assistant Commissioner of Police, West District, Tilak Nagar, Delhi was received on 6th May, 1994 :

"Shri Mukesh Sharma, member, Legislative Assembly, Delhi alongwith his other supporters were detained at 10.35 A.M. under Section 65 of the Delhi Police Act, 1978, for attempting to block the traffic at Tilak Nagar Chowk in protest against demolition, at P.S. Tilak Nagar on 6.5.94. Shri Sharma was released on the same day at 10.55 A.M. from P.S. Tilak Nagar."

P.N. GUPTA
SECRETARY